न्यायालय श्रीमान् राजस्व माण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क0.........ए/2015

(28) III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2236

5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES विशेषित 5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

20रु. बीस रुपये भारत COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20

कु0 21 बाई द्वारा ... आज दि. 17-7-17 को प्रस्तुत

1— माधव सिंह पिता स्व0 श्री निवास सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि
2— राजेश सिंह पिता स्व0 श्री निवास सिंह उम्र 35 वर्ष पेशा कृषि
3— मटरू सिंह पिता स्व0 श्री निवास सिंह उम्र 30 वर्ष पेशा कृषि
4— पिन्टू सिंह पिता स्व0 श्री निवास सिंह उम्र 28 वर्ष पेशा कृषि
5— दीपक सिंह पिता स्व0 श्री निवास सिंह उम्र 25 वर्ष पेशा कृषि
6— नारायण सिंह पिता स्व0 श्री निवास सिंह उम्र 23 वर्ष पेशा कृषि
7— श्रीमती विमला पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 24 वर्ष पेशा गृहकार्य
8— श्रीमती रीता पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 20 वर्ष पेशा गृहकार्य
9— किरण सिंह पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 28 वर्ष पेशा गृहकार्य
10— श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 38 वर्ष पेशा गृहकार्य
11— श्रीमती उर्मिला सिंह बेबा स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 65 वर्ष सभी निवासी ग्राम पतारी तह0रघु0 जिला सतना म0प्र0...........निगराकारगण

बनाम

1— श्रीमती उर्मिला सिंह बेबा स्व0 लाल सिंह उम्र 36 वर्ष पेशा कृषि
2— कु0 विजयलक्ष्मी सिंह पुत्री स्व0 लाल सिंह उम्र 16 वर्ष नाबालिक
3— कु0 प्रतीक्षा सिंह पुत्री स्व0 लाल सिंह उम्र 9 वर्ष नाबालिक दोनो नाबालिको की बली संरक्षिका माता उर्मिला सिंह पत्नी श्री लाल सिंह सभी निवासी ग्राम पतारी तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 हाल निवास कोनिया थाना जैतवारा जिला सतना म0प्र0
4— विनयबहादुर सिंह पिता स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 30 वर्ष पेशा कृषि
5— श्रीमती प्रमोद सिंह पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह
6— श्रीमती छाया सिंह पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह
7— केतकी सिह पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 40 वर्ष
8— बेटी सिह पुत्री स्व0 श्रीनिवास सिंह उम्र 38 वर्ष प्रति0 क0 4 ता 8 निवासी ग्राम पतारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
9— मयंक सिह पिता श्री चमन सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि
10— प्रिन्स सिह पिता श्री चमन सिंह उम्र 38 वर्ष पेशा कृषि दोनो निवासी ग्राम बाधाडीह तहसील बरगवां जिला सीधी म0प्र0
11— कृष्णपाल सिंह पिता स्व0 दुर्जन सिंह उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम कोनिया तहसील बिरसिहपुर जिला सतना म0प्र0
12— शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना म0प्र0.........गैरनिगराकार

17/7/17

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनाक 22/5/2017 प्रकरण क0 37/अपील/2015/2016 न्यायालय

माधव सिंह राजेश सिंह किरण विमला दीपक Nsingh रीतासिंह Pinty Singh

क्रमशः—2

अनुविभगीय अधिकारी तह0 रघु0
जिला सतना म0प्र0

अन्तर्गत धारा 50म0प्र0 भू0रा0स0

मान्यवर,

निगराकार/अपीलान्टगण निम्ननानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है।

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य

1— यह कि निगराकारगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह0 रघु जिला सतना म0प्र0 के समक्ष नायब तहसीलदार वृत्त कोठी तह0 रघु0 जिला सतना के न्यायालय से पारित आदेश दिनाक 20/2/2015 राजस्व प्रकरण क0 26अ6 अ/2013—2014के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये थे और उक्त अपील मे मुख्य आधार यह था कि रेस्पा0गण/गैरनिगराकार गणआपस मे मिलकर स्व0 निवास सिह की आराजी का वारसाना नामान्तरण अपने पक्ष मे करवा लिये जिसमे गलत सजरा खान दान पेश किया गया निगराकारगण/अपीलान्टगण स्व0 श्री निवास सिंह के पुत्र पुत्री एंव पत्नी होनेके कारण वारिस है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिये तहसीलदार वृत्त कोठी के न्यायालय से गलत आदेश करवाये जाने के कारण जानकारी दिनाक के बाद निगराकारगणो ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर एक अतरिम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5परिसीमा अधिनियम के मुताबिक अपील मे हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर दिनाक 22/5/2016 को निरस्त कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र मे जानकारी दिनाक का उल्लेख नही किया है जिससे दुखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के अधार

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनाक 22/5/2017 प्रकरण क0 37/अपील/2015—2016न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह0 रघु0 जिला सतना म0प्र0 का विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने येाग्य नही है।

शीला सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2236

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 37/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	